तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3342/2006/झूंझुनू हरिकिशन बनाम सरती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.21	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रार्थी के। श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अप्रार्थी के । **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झूंझनु के समक्ष निगरानी मीमों में अंकित विवादित आराजी बाबत प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झूंझनु ने अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2002 से वाद वादी डिक्री कर दिया। न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झूंझनु के उक्त निर्णय दिनांक 19.04.02 के विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 विचारण न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झूंझनु के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झूंझनु ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2005 से स्वीकार करते हुये पूर्व पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.02 को अपास्त करते हुये वाद को पुनः नंबर पर लेने के आदेश पारित कर दिये। न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झूंझनु के उक्त आदेश दिनांक 29.10.05 से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3342/2006/झुंझुनू हरिकिशन बनाम सरती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वाद प्रस्तुत करने का नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये जाने पर उनके द्वारा उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वे जानबुझकर वाद में अनुपस्थित रहे, जिसमें उनकी लापरवाही स्पष्ट रूप से साबित होती है। साथ ही उन्होंने ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जिससे कि उनकी अनुपस्थिति को सद्भावी कारण माना जा सके। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उक्त आधार पर ही उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी जाकर विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया था जिसे विचारण न्यायालय विधि विरूद्व जाकर अपास्त कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सरसरी तौर पर देखते हुये उसे स्वीकार करने का विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योगय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल वाद की कार्यवाही विवरण देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि विचारण न्यायालय ने मूल वाद में दिनांक 18.4.02 को तनकीयात कायम की गयी और उसी दिन तनकीयात बनायी जाकर साक्ष्य वादी पूर्णकर दी गयी एवं उसी दिन प्रतिवादी की साक्ष्य भी बंद कर दी गयी। तत्पश्चात उसी दिनांक को अंतिम बहस सुनकर दिनांक 19.04.02 को निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विद्वान अभिभाषक ने अपने बहस में कथन किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3342/2006/झुंझुनू हरिकिशन बनाम सरती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.10.05 विधिसम्मत रूप से पारित किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि प्रार्थी का लंबे समय पूर्व ही देहांत हो चुका है परन्तु उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही आज दिनांक नहीं की गयी है जो पूर्णतः अवैधानिक होने से भी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस निगरानी में कुछ अप्रार्थीगण की भी मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनके भी विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी जो पूर्णतः अविधिक होने से निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2005 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था। विचारण न्यायालय की कार्यवाही विवरण देखने से पाया जाता है कि विचारण न्यायालय ने मूल वाद में दिनांक 18.4.02 को तनकीयात कायम की गयी और उसी दिन तनकीयात बनायी जाकर साक्ष्य वादी पूर्ण कर दी गयी एवं उसी दिन प्रतिवादी की साक्ष्य भी बंद कर दी गयी। तत्पश्चात उसी दिनांक को अंतिम बहस सुनकर दिनांक 19.04.02 को निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इस स्थिति में विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय अपास्त किया जो पूर्णतः न्यायोचित पाया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3342/2006/झुंझुनू हरिकिशन बनाम सरती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस निगरानी में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का लंबे समय पूर्व ही देहांत हो चुका है परन्तु उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही आज दिनांक नहीं की गयी है जो पूर्णतः अवैधानिक होने से भी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस निगरानी में कुछ अप्रार्थीगण की भी मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनके भी विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी जो पूर्णतः अविधिक होने से निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य